कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संत कबीर नगर।

सूचना

परिवार न्यायालय, संत कबीर नगर में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अर्ह व्यक्तियों से दिनांक 25.03.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन हेतु अर्हता निम्न है:-

1. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक तथा पारिवारिक कोन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।

2 विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति, शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

5. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से संबंधित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरांत उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।

6. परामार्शदाता पद हेतु राज्य सराकर द्वारा प्रेषित नामों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्सुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।

7. उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 20/2024/525/सात-न्याय-2-2024-64जी/2023 दिनांकित-20 जून, 2024 के अनुसार वर्तमान में परिवार न्यायालय के परामर्शदाता का मानदेय / फीस रूपया 1,000/-(रूपये एक हजार मात्र) प्रति कार्यदिवस या रूपये 24,000/- (रूपये चौबीस हजार मात्र) प्रतिमाह, जो भी कम हो, देय है।

8. आवेदन प्राप्त होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इसकी स्क्रूटनी की जायेगी और यथासंभव एक पद के सापेक्ष पांच लोग की सूची तैयार की जायेगी।

9. जनपद संत कबीर नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। अर्ह व्यक्ति न मिलने की दशा में दूसरे जिले के व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जा सकता है।

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित निर्धारित तिथि दिनांक 25.03.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में परिवार न्यायालय, संत कबीर नगर में जमा कर सकते हैं।

दिनांक-10.03.2026

(नसीर अहमद-III)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
संत कबीर नगर।

प्रतिलिपि-

1. जिला सूचना अधिकारी, संत कबीर नगर को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से इस नोटिस को निःशुल्क प्रचारित / प्रसारित कराएं तथा जिन समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करायी जाये, उसकी एक-एक प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित की जाये।
2. नोटिस बोर्ड, परिवार न्यायालय / जनपद न्यायालय, संत कबीर नगर।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिलाधिकारी, संत कबीर नगर।
4. नोटिस बोर्ड, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर।
5. अध्यक्ष/महामंत्री जनपद बार एसोसिएशन / सिविल बार एसोसिएशन, संत कबीर नगर।
6. सिस्टम असिस्टेंट, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, संत कबीर नगर को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, संत कबीर नगर व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक-10.03.2026

(नसीर अहमद-III)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
संत कबीर नगर।